पत्र संख्या :- 01/स्था0 (मु0)-85/2021.........2337........./पं0

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग

द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची-834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

प्रेषक,

राजीव अरूण एक्का, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
सभी उप विकास आयुक्त -सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड।

राँची, दिनांक :- 28.11.2023

विषय :- झारखण्ड राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में अवस्थित पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत केन्द्र की स्थापना हेतु डिजिटल पंचायत योजना संचालन हेतु दिशा-निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्राम पंचायतों के कार्यो के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय की स्थापना की गयी है। पंचायत के कार्य एवं अभिलेखों के डिजिटल संधारण तथा आम नागरिकों को सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं का लाभ एवं विविध प्रमाण पत्रों के आवेदन एवं निर्गमन के लिए भी पंचायत भवन में आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षित मानव बल उपलब्ध नहीं है। पंचायत क्षेत्रों में सूचना प्रवाह के अंतिम इकाई केन्द्र निर्धारित नहीं रहने के कारण नागरिकों को उचित जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तकनीकि पिछड़ापन एक बाधा है।

उक्त समस्या के समाधान हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा CSC-ई-गवर्नेंस सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड जो Electronics & Information Technology Ministry, GoI अन्तर्गत कम्पनी ऐक्ट 1956 के अधीन गठित एक निकाय है तथा जिसका उद्देश्य सामान्य सुविधा केन्द्र योजना (CSCs) का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना

(हस्ताक्षर) 28.11.23

....2/-..

Scanned with OKEN Scanner

है के मध्य एक समझौता किया गया है । इस समझौते के फलस्वरूप राज्य के स्थानीय नागरिकों को सरकारी विभागों, व्यापारिक संस्थानों, बैंकिंग, बीमा तथा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा सूचना तकनीक के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं का लाभ ग्राम पंचायत स्तर पर ही मिल सकेगा। पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में नागरिक सेवाओं और डिजिटलीकरण के लिए CSC के साथ मिलकर ''डिजिटल पंचायत'' योजना की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है। विभागीय संकल्प संख्या 2069 दिनांक 22.08.2023 में CSC-SPV द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं का उल्लेख विस्तृत रूप में किया गया है।

राज्य के नागरिकों को ससमय सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के लक्ष्य से प्रेरित होकर पंचायती राज विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं के वितरण एवं पंचायत के डिजिटलीकरण के लिए सिंगल विंडो समाधान के रूप में योजना निर्धारित की गयी है।

उक्त पृष्ठभूमि में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023–24 से राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पंचायत योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है तथा CSC-SPV द्वारा डिजिटल पंचायत केन्द्र को प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

1. <u>योजना क्रियान्वयन की संरचना</u> :–

- डिजिटल पंचायत केन्द्र की स्थापना ग्राम पंचायत सचिवालय में ही की जाएगी।
- डिजिटल पंचायत केन्द्र का संचालन एक कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे VLE के नाम से जाना जायेगा । इन Village Level Entrepreneur (VLEs) को CSC, e-Governance India Limited द्वारा पंचायत में

...3/–...

Scanned with OKEN Scanner

कार्य करने हेतु रखा जायेगा व उन्हें समय–समय पर जिला/प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा । स्पष्ट किया जाता है कि उक्त VLEs विभाग के कर्मी नहीं होंगे, अपितु ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करने हेतु CSC e-Governance India Limited द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन के रूप में होंगे, जिनको मानदेय/पारिश्रमिक CSC e-Governance India Limited द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार दिया जायेगा । ग्राम पंचायत स्तर पर VLE का चयन CSC e-Governance Services india Lted. द्वारा ही किया जायेगा । इसमें किसी विभाग/संस्था की कोई सहभागिता नहीं है।

- **VLE स्थानीय स्तर पर संचालित प्रज्ञा केन्द्र से चयनित किये जायेंगे और ये पूर्णतः अस्थाई होंगे ।**
- **योजनान्तर्गत CSC द्वारा पंचायत स्तर पर पंचायत कर्मियों को डिजिटल कौशल उपलब्ध कराया जाएगा।**
- **ग्राम पंचायत के सभी प्रकार के डाटा डिजीटाईजेशन, योजनाओं की ऑनलाईन प्रविष्टि, योजनाओं के क्रियान्वयन आदि में ग्राम पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव को VLE द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।**
- **इस योजना अंतर्गत पंचायत सचिवालय में बैंकिंग एवं पोस्टल सेवा भी शुरू करने की योजना है।**
- डिजिटल पंचायत केन्द्र सिंगल विंडो व्यवस्था की अवधारणा पर कार्य करेगी ।
- इस योजना के तहत् CSC-SPV द्वारा Data Digitization & Record keeping of MoPR Portals, Gram Panchayat record keeping (e-Gov Jharkhand), Registers, Monitoring and

..4/-...

Scanned with OKEN Scanner

MIS Applications, Data digitization survey of Basic amenities data in Panchayats, Data Digitization individual website of each Panchayat, Data Digitizatin Mobile App for any of the modules of OneGov, Entry in any other application developed by MoPR, Any others services decided by Department by Agency से संबंधित कार्य की सेवा बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जायेगा।

- **इन केन्द्रों से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सभी G2G, G2C और B2C सेवाएं उचित दर पर प्रदान की जाएगी ।**
- इन केन्द्रों में पंचायत के लिए उपयोगी समस्त दस्तावेजों की डेटा इन्ट्री सुनिश्चित की जाएगी ।
- इन केन्द्रों पर सेवा सूची और सेवा दर सूची को प्रदर्शित की जाएगी, साथ ही साथ योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी ।
- इन VLE का कार्य दिवस पंचायत के कार्य दिवस के अनुरूप ही होगा ।
- इन केन्द्रों पर बेनर भी प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें ग्राम पंचायत एवं VLE का विवरण होगा ।
- इन केन्द्रों के माध्यम से दिव्यांग एवं बुजुर्ग व्यक्तियों को घर पहुँच सेवा प्रदान की जाएगी ।
- इन केन्द्रों पर भविष्य में सभी विभागों की नागरिक आधारित अतिआवश्यक सेवाओं को भी जोड़ा जा सकेगा ।
- भविष्य में इन केन्द्रों से सेवा के अनुरूप प्राप्त आय का कुछ अंश ग्राम पंचायतों को भी प्राप्त होगा। केन्द्र संचालक (VLE), पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत के मुखिया के अधीन उनके सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे।

27.11.22

...5/-...

Scanned with OKEN Scanner

2. डिजिटल पंचायत केन्द्र स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत सचिवालय में आधरभूत सुविधा यथा– एक कमरा, टेबल, कुर्सी, बिजली, सफाई पानी, इन्टरनेट, बैनर इत्यादि पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी ।

3. डिजिटल पंचायत केन्द्र स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत भवन में कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर (अनुरक्षण एवं उन्नयन सहित), मानव संसाधन, प्रशिक्षण का व्यय CSC- ई–गवर्नेंस सर्विसेस इण्डिया लिमिटिड द्वारा वहन किया जाएगा।

4. योजना के क्रियान्वयन के लिए CSC– ई–गवर्नेंस सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड को कार्यकारी एजेंसी के रूप में झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मनोनयन के आधार पर नामित किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा CSC- ई–गवर्नेंस सर्विसेस इण्डिया के साथ डिजिटल पंचायत क्रियान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। CSC – ई–गवर्नेंस सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड समझौता ज्ञापन व कार्यादेश निर्गत की तिथि से पाँच वर्षो तक अथवा समझौता समाप्त करने तक जो भी पहले हो, की अवधि के लिए डिजिटल पंचायत योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी । पंचायती राज विभाग अधिकतम दो वर्ष के लिए योजना का विस्तार कर सकेगी ।

5. योजनान्तर्गत एजेंसी द्वारा सभी जिला परिषद् और पंचायत समिति/प्रखण्ड स्तर पर एक–एक प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा । इनका बैठने का व्यवस्था क्रमशः जिला परिषद् कार्यालय एवं पंचायत समिति कार्यालय में किया जाय । **इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर VLE के बैठने की व्यवस्था ग्राम पंचायत सचिवालय में की जाय ।**

6. योजनान्तर्गत एजेंसी द्वारा पंचायती राज विभाग से संबंधित सभी ऑनलाईन सेवाएँ (ई–ग्राम स्वराज पोर्टल, डेटा डिजिटाईजेशन, पंचायती राज मंत्रालय,

....6/–...

Scanned with OKEN Scanner

भारत सरकार द्वारा तैयार Application से संबंधित सेवाओं, G2G Service) हेतु अलग से किसी प्रकार का सेवाशुल्क नहीं लिया जाएगा । किन्तु झारसेवा पोर्टल एवं डिजिसेवा पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली G2C Services के लिए संबंधित लाभुक से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित दर के आधार पर सेवा शुल्क लिया जाएगा । शुल्क आधारित सेवाओं की सूची (शुल्क सहित) पंचायत केन्द्रों पर निश्चित रूप प्रदर्शित किया जाएगा ।

7. डिजिटल पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल पदाधिकारी निदेशक, पंचायत राज, झारखण्ड, राँची होंगे।

8. डिजिटल पंचायत योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों का अपना बेवसाईट एवं Dashboard बनाने की योजना है।

9. पंचायत स्तर पर क्रियान्वित योजनाओं का पर्यवेक्षण हेतु ऑनलाईन मासिक प्रगति प्रतिवेदन VLE के माध्यम से समर्पित की जाएगी ।

अतः इस पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु एक PPT की प्रति उपलब्ध कराई जा रही है । उपरोक्त इन निर्देशों का तीनों स्तर पर (जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) अक्षरशः पालन किया जाए और CSC-ई–गवर्नेंस सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों को हर संभव सहायता की जाए तथा इस दिशा–निर्देश की प्रति मुखिया तथा पंचायत सचिव को उपलब्ध कराते हुए निर्देशों का अक्षरशः पालन कराने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित किया जाए ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक :– यथोक्त।

28.11.23

(राजीव अरूण एक्का)
सरकार के प्रधान सचिव।

Scanned with OKEN Scanner